

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया

पत्रांक

/2016 न0पा0परि0 (2016-17)

दिनांक : 20.5.2016

अल्पकालिक निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगरपालिका परिषद गौरा बरहज सामान्तर्गत गौरा मेन रोड पर तिवारीपुर मोड़ से विश्वकर्मा मन्दिर तक (C.I.D.F. 250 mm.) 300 मीटर पाईप लाईन विस्तार (मजदूरों/पलम्बर द्वारा कराने, रोड/सड़क कटिंग, खुदाई, भराई एवं रोड/सड़क रिपेयर का कार्य,) कार्य हेतु दिनांक- 30.05.2016 को अपराहन 3 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो नगरपालिका कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी, प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराहन 4 बजे नगरपालिका कार्यालय, में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निर्माण कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक- 28.05.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 /के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया-प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना वेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	लम्बाई	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	गौरा मेन रोड पर तिवारीपुर मोड़ से विश्वकर्मा मन्दिर तक 300 मीटर पाईप लाईन (C.I.D.F. 250 mm.) विस्तार कार्य।	300 मीटर	486000.00	48600.00	500.00	31.08.2015

नोट:-स्थल पर जलकल पाईप, C.I.D.F. 250 mm. 300 मीटर की आपूर्ति नगरपालिका परिषद गौरा बरहज द्वारा करायी जायेगी।

नियम व शर्तें-

- निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण-पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया-प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/पी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा। जो कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में पालिका द्वारा अवमुक्त की जायेगी।
- निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्य कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, जलकल पाईप लाईन विस्तार कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

6. जलकल पाईप लाईन विस्तार कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ न0पा0 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
7. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
8. निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी
9. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
10. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
11. किसी भी ठेकेदार/फर्म अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
12. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
13. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
14. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
15. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
17. निविदा अध्यक्ष/अधिकांसी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।
18. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है, तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
19. यह कि टी-6, स्वघोषणा शपथ-पत्र रू0 100/- (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(निलेश रमन)
अधिकांसी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

क्रं 984 /2016 (NW) न0पा0परि0 (2016-17) तददिनांकित।

तेलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चरपा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्र की परम्परा" एवं "स्वतन्त्र चेतना" को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।


अधिकांसी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया